क्रमांक 9776-3एस-75/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला व हिसार मण्डल तथा हरियाणा के सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी ।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायधीश ।

दिनांक, चण्डीगढ 22 जनवरी, 1976

विषय :—तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस लिखने बारे ।

महोदय,

सरकार के ध्यान में आया है कि कई विभागों में तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टस नहीं लिखवाई जा रही हैं, जबकि गोपनीय रिपोर्टस सम्बन्धी समेकित हिदायतों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि ऐसे कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें न लिखी जायें और यह हिदायतों के अनुकूल नहीं है अतः मुझे आपको यह कहने का निदेश हुआ है कि तदर्थ आधार पर लगे कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस नियमित तौर पर लिखवाई जाया करें। आपसे अनुरोध है कि ये हिदायतें आपके अधीन कार्य कर रहे सभी रिपोर्टिंग अथौटीज के ध्यान में दृढता से पालन करने के लिए ला दी जायें ।

कृपया इस पत्र की एक पावती भेजें ।

भवदीय,

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति वित्तायुक्त, हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।